

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/1617

जबलपुर, दिनांक 02 / 07 / 2020

निम्नलिखित आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्त नियम 1976 के नियम 4(एक) के अंतर्गत 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य के रूप में, वेतनमान रूपये 4440-7440 + ग्रेड पे रु. 1300/- (7 वे वेतनमान में लेवल 1 पे मेट्रीक्स 15500-49000) में अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त व्यपवर्तित करते हुए दिनांक 30.06.2020 से निम्नांकित शर्तों पर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर नियुक्त/पदोन्नत किया जाता है :-

क्रमांक	नाम
1	2
1.	श्रीमति उर्मिला तिवारी पति श्री सत्येन्द्र कुमार तिवारी, भृत्य
2.	श्री टुक बहादुर ठाकुर आत्मज स्व. श्री लिल बहादुर, भृत्य
3.	श्री सुमित कुमार कनौजिया आत्मज श्री मनमोहन कनौजिया, कुक
4.	श्री श्रीनिवास कुशवाहा आत्मज श्री रामसजीवन कुशवाहा, गार्डनर
5.	श्री पवन कुमार रजक आत्मज श्री श्याम कुमार रजक, वॉशरमैन
6.	श्री अनुज कुमार शर्मा आत्मज श्री श्यामलाल शर्मा, भृत्य
7.	श्री अशोक कुमार आत्मज श्री अज्ञात अनाथ, भृत्य
8.	श्री दिनेश गुप्ता आत्मज श्री सम्पत लाल गुप्ता, गार्डनर
9.	श्री संजय कुमार कर आत्मज श्री रामचन्द्र कर, कुक
10.	श्री नीरज कुमार यादव आत्मज श्री सुरेश कुमार यादव, वाहन चालक
11.	श्रीमती मंदाकिनी दुबे पति श्री अशोक दुबे, कुक
12.	श्री भागचंद्र कुशवाहा आत्मज श्री रामनाथ कुशवाहा, गार्डनर
13.	श्रीमती प्रियंका शर्मा पति श्री आकाश शर्मा, भृत्य
14.	श्री सचिन कुमार कश्यप आत्मज श्री महेश कुमार, भृत्य
15.	श्री अंकुश मिश्रा आत्मज श्री जय गोविंद मिश्रा, कुक
16.	श्री रामचरण कुशवाहा आत्मज श्री रामसुमिरन कुशवाहा, भृत्य
17.	श्री मनीष पाल आत्मज श्री रमेश पाल, भृत्य
18.	श्रीमती बिन्दा बैरागी पति श्री मनोज बैरागी, भृत्य
19.	श्री मुन्नालाल कुशवाहा आत्मज श्री केमला प्रसाद कुशवाहा, कुक
20.	श्री पुरुषोत्तम चौरे आत्मज श्री भगवती प्रसाद चौरे, कुक
21.	श्री संदीप कुमार पटेल आत्मज श्री रामलाल पटेल, भृत्य
22.	कु. रमा कश्यप आत्मज श्री रमेश कुमार कश्यप, भृत्य
23.	श्री इस्लाम नवी आत्मज श्री रफीक मोहम्मद, भृत्य
24.	श्री प्रकाश नागर आत्मज श्री रमेश नागर, भृत्य
25.	श्री श्रवण कुमार कुशवाहा आत्मज श्री इन्द्रजीत कुशवाहा, गार्डनर
26.	श्री विश्वनाथ कुशवाहा आत्मज श्री औसेरी प्रसाद कुशवाहा, गार्डनर
27.	श्री मोहित विश्वकर्मा आत्मज श्री रमेश विश्वकर्मा, वाहन चालक



28	श्री रामनरेश काछी आत्मज श्री राम कुमार काछी, गार्डनर
29	श्री बेडीलाल मेहरा आत्मज स्व. श्री धुरई लाल मेहरा, वाहन चालक
30	श्री सुनील चौधरी आत्मज स्व. श्री रामप्रसाद चौधरी, भृत्य
31	श्रीमती उमा सोनखरे पति श्री मनीष सोनखरे, भृत्य
32	श्री संतोष कुमार आत्मज स्व. श्री मुन्ना लाल, कुक
33	श्री नरेन्द्र कुमार ग्रानियाँ आत्मज स्व. श्री मेढी प्रसाद ग्रानियाँ, भृत्य
34	श्रीमती स्नेहलता बर्मन पति श्री सुशील बर्मन, भृत्य
35	श्री दशन लाल इनवाती आत्मज स्व. श्री भंगीलाल इनवाती, भृत्य
36	श्री इन्दल सिंह गोड आत्मज श्री रामसिंह गोड, भृत्य
37	श्री विनोद नवडे आत्मज श्री संतोष नवडे, भृत्य
38	श्री सुरेन्द्र सिंह आत्मज श्री राजमैन, भृत्य
39	श्री घनश्याम प्रसाद बैगा आत्मज श्री फूलसिंह बैगा, भृत्य
40	श्री विजय कुमार रौतेल आत्मज स्व. श्री भीमसरिया रौतेल, भृत्य
41	श्री लक्ष्मण प्रसाद बैगा आत्मज श्री शियासरण बैगा, भृत्य
42	श्री नरेन्द्र सिंह गौड आत्मज स्व. श्री लाल बहादुर सिंह, भृत्य
43	श्री रत्नेश कुमार रावते आत्मज श्री पुरुषोत्तम लाल रावते, भृत्य

1. यह कि, वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे।
2. यह कि कर्मचारी को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के अंदर रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर के कार्यालय में उपस्थित होकर किसी कार्य दिवस पर निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करें कि उन्हें कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है या किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है तथा किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है, यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है। यह कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारी दी है एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं वे पूर्णतः सत्य व सही हैं। यदि प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेंगी तथा मेरे विरुद्ध असत्य शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।
3. यह कि वे उच्च न्यायालय के सेवाकाल में किसी अन्य कार्यालय को किसी अन्य पद के लिए सीधे आवेदन नहीं करेंगे।
4. यह कि, वे बिना पूर्वानुमति के अग्रिम अध्ययन नहीं करेंगे और न ही उससे संबंधित परीक्षा में सम्मिलित होंगे, स्वाध्यायी छात्र के रूप में भी किसी शैक्षणिक अध्ययन करने या परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
5. यह कि उनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी तौर पर है तथा उनकी सेवायें कभी भी बिना कारण बताये समाप्त कर दी जावेंगी।

6. यह कि, उनकी नियुक्ति इस प्रतिबंध के साथ की जाती है कि उन्हें अपनी स्वास्थ्यता का प्रमाण-पत्र जो कि सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो प्रस्तुत करना होगा। स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र विपरीत पाये जाने पर कर्मचारी की सेवायें समाप्त की जावेगी।
7. कर्मचारी को यह स्वीकार करना होगा कि प्रशासनिक आवश्यकता समझी जाने पर उन्हें खंडपीठ इंदौर/ग्वालियर की स्थापना पर सेवा करने हेतु स्थानांतरित किया जा सकेगा।
8. कर्मचारी को समय-समय पर पारित हिदायतों का कर्तव्यनिष्ठा के साथ पालन करना होगा।
9. यह कि, यदि वे सेवा से पृथक् होना चाहेंगे तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।
10. कर्मचारी को लिखित रूप से अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य हैं और भविष्य में समय-समय पर जो भी संशोधन अथवा जो भी परिवर्तन होंगे, वे भी उसे मान्य होंगे।
11. यह कि उपरोक्त कर्मचारी द्वारा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यता का प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण उपरांत संतुष्ट होने पर ही उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जावेगी।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार,

(राजेन्द्र कुमार वाणी)

रजिस्ट्रार जनरल

जबलपुर, दिनांक 02 / 07 / 2020

पृष्ठांकन C/1618

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (प्रशा.) / रजिस्ट्रार-कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर,
3. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
5. डिप्टी कंट्रोलर एकाउंट्स, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
6. ज्वाइंट रजिस्ट्रार(एम)(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. असिस्टेंट रजिस्ट्रार स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर(न्यायिक), स्था. / लेखा / बजट / पेंशन / प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
10. सहायक, स्थापना / अवकाश / सेवा पुस्तिका / वेतन पत्रक / डी.पी.एफ. / प्रोटोकॉल ऑफिसर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. श्रीमति उर्मिला तिवारी पति श्री सत्येन्द्र कुमार तिवारी, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(भृत्य), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
12. श्री टुक बहादुर ठाकुर आत्मज स्व. श्री लिल बहादुर, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(भृत्य), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
13. श्री सुमित कुमार कनौजिया आत्मज श्री मनमोहन कनौजिया, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(कुक्), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,

-5

35. श्री श्रवण कुमार कुशवाहा आत्मज श्री इन्द्रजीत कुशवाहा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(गार्डनर), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 36. श्री विश्वनाथ कुशवाहा आत्मज श्री औसेरी प्रसाद कुशवाहा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(गार्डनर), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 37. श्री मोहित विश्वकर्मा आत्मज श्री रमेश विश्वकर्मा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(वाहन चालक), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 38. श्री रामनरेश काछी आत्मज श्री राम कुमार काछी, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(गार्डनर), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 39. श्री बेडीलाल मेहरा आत्मज स्व. श्री धुरई लाल मेहरा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(वाहन चालक), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 40. श्री सुनील चौधरी आत्मज स्व. श्री रामप्रसाद चौधरी, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(भृत्य), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 41. श्रीमती उमा सोनखरे पति श्री मनीष सोनखरे, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(भृत्य), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 42. श्री संतोष कुमार आत्मज स्व. श्री मुन्ना लाल, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(कुक), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 43. श्री नरेन्द्र कुमार ग्रानियाँ आत्मज स्व. श्री मेढी प्रसाद ग्रानियाँ, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(भृत्य), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 44. श्रीमती स्नेहलता बर्मन पति श्री सुशील बर्मन, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(भृत्य), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 45. श्री दशन लाल इनवाती आत्मज स्व. श्री भंगीलाल इनवाती, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(भृत्य), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 46. श्री इन्दल सिंह गोड आत्मज श्री रामसिंह गोड, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(भृत्य), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 47. श्री विनोद नवडे आत्मज श्री संतोष नवडे, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(भृत्य), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 48. श्री सुरेन्द्र सिंह आत्मज श्री राजमैन, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(भृत्य), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 49. श्री घनश्याम प्रसाद बैगा आत्मज श्री फूलसिंह बैगा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(भृत्य), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 50. श्री विजय कुमार रौतेल आत्मज स्व. श्री भीमसरिया रौतेल, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(भृत्य), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 51. श्री लक्ष्मण प्रसाद बैगा आत्मज श्री शियासरण बैगा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(भृत्य), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 52. श्री नरेन्द्र सिंह गौड आत्मज स्व. श्री लाल बहादुर सिंह, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(भृत्य), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 53. श्री रत्नेश कुमार रावते आत्मज श्री पुरुषोत्तम लाल रावते, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी(भृत्य), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


 (प्रियदर्शन शर्मा)
 रजिस्ट्रार(प्रशासन)
 डिप्टी